संख्या-46/2025/381/सैंतीस-2-2025/002-1(39)/07

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-17 मार्च, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-396/सा0-1/एक्स-120(187)/अनुरक्षण/2024-25, दिनांक-27.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के मानक मद 29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-30.65 लाख (रूपये तीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग अथवा उ0प्र0 शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
11. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
12. कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,65,000 (रुपये तीस लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001010400 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-46/2025/381(1)/सैंतीस-2-2025/002-1(39)/07, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-46/2025/381/सैंतीस-2-2025/002-1(39)/07, दिनांक-17 मार्च, 2025 का संलग्नक:-

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वर्ष 2024-25

क्र0	जनपद का नाम	विभागीय संस्थाओं का नाम/स्थल	निर्माण का वर्ष	लागत (लाख में)
1	मथुरा	प.चि. सुरीर, वि.ख. नौहझील	--	0.90
2	मथुरा	प.चि. शिवाल, वि.ख. चौमुहा	--	0.95
3	मथुरा	प.चि. चौमुहा, वि.ख. चौमुहा	--	0.95
4	मथुरा	प.चि. सेही, वि.ख. चौमुहा	--	0.90
5	मथुरा	प.चि. बल्देव, वि.ख. बल्देव	--	0.95
6	मथुरा	प.चि. महरामगढ़ी, वि.ख. बल्देव	--	0.90
7	मथुरा	प.चि. पैगाँव, वि.ख. छाता	--	0.90
8	मथुरा	प.चि. छाता, वि.ख. छाता	--	0.95
9	मथुरा	प.चि. माँट, वि.ख. माँट	1999	0.90
10	मथुरा	प.चि. हाथिया, वि.ख. नन्दगाँव	--	0.90
11	मथुरा	प.से.के. मगोर्रा, वि.ख. गोवर्धन	--	0.80
12	मथुरा	प.से.के. लोहवन, वि.ख. राया	--	0.80
13	मथुरा	प.से.के. कोसीबिजहारी, वि.ख. राया	--	0.80
14	बहराईच	प.चि. सदर, वि.ख. चित्तौरा	2018	0.90
15	बहराईच	प.चि. फखरपुर, वि.ख. फखरपुर	1970	0.90
16	बहराईच	प.चि. कैसरगंज, वि.ख. कैसरगंज	2019	0.70
17	बहराईच	प.चि. पयागपुर, वि.ख. पयागपुर	2019	0.80
18	बहराईच	प.चि. नवाबगंज, वि.ख. बाबागंज	2019	0.70
19	बहराईच	प.चि. बाबागंज, वि.ख. नवाबगंज	1960	0.90
20	बहराईच	प.चि. चिलवरिया, वि.ख. चित्तौरा	2005	0.90
21	बहराईच	प.चि. खैराबाजार, वि.ख. तेजवापुर	1960	0.90
22	बहराईच	प.से.के. गम्भीरवा, वि.ख. चित्तौरा	2015	0.90
23	बहराईच	प.से.के. सोहरवा, वि.ख. चित्तौरा	2015	0.90
24	बहराईच	प.से.के. कल्पीपारा, वि.ख. चित्तौरा	2012	0.90
25	बहराईच	प.से.के. विशुनपुररहवा, वि.ख. चित्तौरा	2012	0.90
26	बहराईच	प.से.के. राजापुर कला, वि.ख. पयागपुर	2010	0.90
27	बहराईच	प.से.के. नौतला, वि.ख. महसी	2012	0.90
28	बहराईच	प.से.के. रायपुरथैलिया, वि.ख. महसी	2010	0.70
29	अयोध्या	प.चि. सदर	--	0.95
30	अयोध्या	प.चि. शुजागंज, वि.ख. रूदौली	--	0.90
31	अयोध्या	प.चि. हैदरगंज, वि.ख. तारून	--	0.95
32	अयोध्या	प.चि. तारून, वि.ख. तारून	--	0.90
33	अयोध्या	प.चि. मिल्कीपुर, वि.ख. मिल्कीपुर	--	0.95
34	अयोध्या	प.चि. बीकापुर, वि.ख. बीकापुर	--	0.90
35	अयोध्या	प.से.के. गोलाबाजार, वि.ख. बीकापुर	--	0.70
योग-				**30.65**

(रूपये तीस लाख पैंसठ हजार मात्र)

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।